



2026:AHC: 54131

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1850/2025

शमीम अहमद

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : अंजनी कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 85

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया, और पत्रावली का परिशीलन किया गया।
- वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, संख्या 2, वाराणसी द्वारा मामला संख्या 933 वर्ष 2022, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 21-03-2025 को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता को प्रार्थना पत्र की तिथि से अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 3,000/- रुपये प्रति माह की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और सामग्री का उचित रूप से मूल्यांकन किए बिना यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय पुनरीक्षणकर्ता की वास्तविक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आय और वित्तीय क्षमता पर विचार करने में विफल रहा और अनुमानों और अटकलों के आधार पर आगे बढ़ा। आगे यह तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता के अन्य पारिवारिक दायित्व हैं और उसके पास अधिनिर्णीत राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, निर्धारित किए गए अंतरिम भरण-पोषण की मात्रा अत्यधिक, मनमानी और विधि की दृष्टि में अपोषणीय है और इसलिए, अपास्त किए जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. ने आपराधिक पुनरीक्षण का विरोध किया है और आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए यह प्रस्तुत किया है कि पुनरीक्षणकर्ता एक शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति होने के नाते अपनी पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण करने के अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रदान किया गया अंतरिम भरण-पोषण उचित है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता है।

5. आक्षेपित आदेश से, यह प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता/पति एक शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति है और इसलिए, वह अपनी पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण करने के अपने पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता है। जहाँ तक पुनरीक्षणकर्ता की आय का संबंध है, उसकी सटीक आय के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। हालांकि, भले ही पुनरीक्षणकर्ता को एक मजदूर माना जाए, यह मानना उचित होगा कि वह लगभग 600/- रुपये प्रतिदिन कमाता है, जो 18,000/- रुपये प्रति माह बनता है। **रजनेश बनाम नेहा और एक अन्य, (2021) 2 एस.सी.सी. 324; कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी नी नंदी, ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 2383; और कुलभूषण कुमार बनाम राज कुमारी, (1970) 3 एस.सी.सी. 129** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के 25% की सीमा तक प्रदान किया जा सकता है। तदनुसार, 18,000/- रुपये का 25%, 4,500/- रुपये प्रति माह आता है, जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान की गई राशि से अधिक है।

6. विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की आय के प्रथम दृष्टया आकलन के आधार पर कुल 3,000/- रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया गया है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल प्रार्थना पत्र अभी भी अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए अवर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्य प्रस्तुत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किए जाने के बाद इसका निर्णय किया जाएगा। विचारण के दौरान, पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

7. वर्तमान वाद के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और, इस न्यायालय के सुविचारित मत में, आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता है।

8. आपराधिक पुनरीक्षण गुण-दोष से रहित है और तदनुसार, खारिज किया जाता है।

17 मार्च, 2026

पी.के.एस.

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”